21/6/19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण
प्रार्थिनी मूलदास पत्रावली आज को पेश
पत्रों पर बहस सादिल की जा चुकी है। तारीख
से इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रहा गया है
अतः अस्थ पत्रावली अग्रिम कार्यवाही होकर
वकील प्रार्थी के पेश पत्रों पर बहस के बाद
की जानी है। केवल कुमार हो। नम्बर से कम
हो। फाइल की लगाकर मूलदास रहे।
हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner